बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4(मु0) 4515–02–112/2011 /पटना, दिनांक--

प्रेषक,

अरूण कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0101–न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम–उप शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य इकाई में राज्य के जमुई जिला अन्तर्गत झाझा–चकाई पी0डब्लू0डी0 पथ से सोनो बाजार होते हुये बरनर नदी के किनारे पुल तक पथ निर्माण, जिसकी कुल लम्बाई 1.478 कि0मी0 है तथा तकनीकी अनुमोदन की राशि 105.74 लाख रूपये (एक करोड़ पाँच लाख चौहतर हजार रूपये) मात्र है, के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0101–न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम–उप शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य इकाई में राज्य के जमुई जिला अन्तर्गत झाझा–चकाई पी0डब्लू0डी0 पथ से सोनो बाजार होते हुये बरनर नदी के किनारे पुल तक पथ निर्माण, जिसकी कुल लम्बाई 1.478 कि0मी0 है तथा तकनीकी अनुमोदन की राशि 105.74 लाख रूपये (एक करोड़ पाँच लाख चौहतर हजार रूपये) मात्र है, के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. विषयांकित योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका संख्या मु0अ0–4(मु0) 4515/2–41/2011 के पृष्ट संख्या 27–31/टि0 पर दिनांक 03.10.2011 को किया गया है।
3. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 24.11.2011 को निम्न शर्तों के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है–

(क) इस योजना को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात 2011–12 एवं 2012–13 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, जमुई यह सुनिश्चित करेंगे कि पथ में Cross Drainage Structure की पर्याप्त व्यवस्था हो।

(ग) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, जमुई विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे और उसके अनुरूप कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जायेगा।

(घ) पथ परत के चौड़ीकरण वाले भाग में समुचित संपीडन रौलर से अथवा Mannually आवश्यकतानुसार कराया जायेगा तथा इनमें जो दर न्यूनतम हो, उसी के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

(ङ) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि जिलावार तैयार किये जानेवाले पथों के Core Network मानचित्र में भी कर लिया जायेगा।

(च) कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, जमुई यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना या किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हो।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Anil Kumar Mishra

(1925).

4. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई, इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
5. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. योजना के तकनीकी स्वीकृति के समय प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
7. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0101–न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम–उप शीर्ष के अन्तर्गत "नए पथों का निर्माण" मुख्य निर्माण कार्य इकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। मुख्य निर्माण कार्य इकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 413.6335 करोड़ रूपये का बजट उपबन्ध है।
8. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह 10 तारीख तक निश्चिंत रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या मु0अ0–4(मु0) 4515–02–112/2011 दिनांक– 24.11.2011 को संचिका के पृ0 3/टि0 पर प्राप्त है।
10. इस योजना मद में बजट में राशि उपलब्ध होने के आधार पर व्यय किया जायेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301वि (2) दिनांक–31.01.1995 ... विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक–15.09.2005 तथा वित्त विभाग के अद्यतन संकल्प संख्या 96 दिनांक 03.01.2008 के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड 1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में विभागीय सचिव की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0–4(मु0) 4515–02–112/2011 पृष्ठ संख्या– 5/ टि0 पर दिनांक– 01.12.2011 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–

(अरूण कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4(मु0) 4515–02–112/2011 /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जमुई जिला के कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4(मु0) 4515–02–112/2011-3598- /पटना, दिनांक- 05-12-2011.
प्रतिलिपि– मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर / जिला पदाधिकारी, जमुई /उप विकास आयुक्त, जमुई /अभियंता प्रमुख ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/ मुख्य अभियंता 1, पटना एवं मुख्य अभियंता 4, ग्रा0 का0 वि0/ अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं श्री रोशन कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 (मुख्यालय) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Anil Kumar Mishra

सरकार के संयुक्त सचिव

35-12=70 पृष्ठ